लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841

12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा और हस्तशिल्प का संवर्धन

1841. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री जुएल ओराम:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में हथकरघों तथा हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर तमिलनाडु में हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई, जारी की गई तथा उपयोग में लाई गईं; और

(घ) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप क्या लाभ हुए?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): यह तमिलनाडु राज्य सहित देश में हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का प्रयास है। वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में इन क्षेत्रों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है: -

हथकरघा क्षेत्र के लिए योजनाएँ:

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
   (i) ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर
   (i i) हथकरघा विपणन सहायता
   (i i i) बुनकर मुद्रा योजना
2) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
   (i) मेगा क्लस्टर
   (i i) ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर
3) हथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
   (i) परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई)
   (i i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
   (i i i) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएएसबीवाई)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपर्युक्त योजनाओं के तहत, कच्चे माल, करघे और सामान की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल उन्नयन, प्रकाश इकाइयां, हथकरघा उत्पादों के विपणन और रियायती दरों पर ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए योजनाएँ:

1) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के निम्न घटक हैं:
   - (i) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत आधार रेखा सर्वेक्षण और कारीगरों का संग्रहण
   - (ii) डिजाइन और प्रौद्योगिकी उन्नयन,
   - (iii) मानव संसाधन विकास
   - (iv) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ,
   - (v) अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता,
   - (vi) अनुसंधान और विकास,
   - (vii) विपणन सहायता और सेवाएँ।

2) व्यापक हस्तशिल्प विकास योजना (सीएचसीडीएस) के निम्नलिखित घटक हैं:
   - (i) मेगा क्लस्टर
   - (ii) हस्तशिल्प एकीकृत विकास और संवर्धन (आईडीपीएच) के तहत विशेष परियोजनाएँ।

(ग): उपर्युक्त सभी योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं। निधियों का बजटीय आवंटन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत अनुशंसित व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निधि सीधे पात्र हथकरघा एजेंसियों / बुनकरों को जारी की जाती है। उसके बाद पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग और वस्तविक तथा वित्तीय रिपोर्ट आदि प्राप्त होने पर उन्हें निधियों की किस्तें जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2017-18 से 2020-21 तक 31-01-2021 के अनुसार) में हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं के तहत जारी, आवंटित कुल निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में आवंटित निधियां (रू. करोड़ में)	पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष में जारी निधियां (रू. करोड़ में)
1	हथकरघा योजनाओं के लिए निधियां	रू. 1461.18	रू. 1167.38
2	हस्तशिल्प योजनाओं के लिए निधियां	रू. 669.48	रू. 472.82

(घ): स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से संचालित हथकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं के हाल ही में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि बुनकरों / कारीगरों की प्रति माह की औसत कमाई में वृद्धि हुई है, कार्य दिवसों की औसत संख्या में वृद्धि हुई है और प्रति दिन प्रति बुनकर औसत यार्न की खपत भी बढ़ी है।

***